न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 30 / 2019
दायर दिनांक :– 06.05.2019

अनवान

नरेन्द्रसिंह उर्फ गरवरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत नि. हथोडिया तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर तह0 जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री शशिकान्त पत्रिया, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 11.03.2020

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम हथोडिया प0 ह0 बिहाडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 343, 344, 345, 490 कुल किता 4 रकबा 05.11 बीघा कृषि भुमि स्थित है। वादी का वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह है तथा सभी सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम नरेन्द्रसिंह ही दर्ज है परन्तु वादी को प्रारम्भ से ही परिवार में प्रेम व स्नेह से गरवरसिंह के नाम से जाना जाता रहा है। वादी अवस्था में सभी के द्वारा गरवरसिंह के नाम से ही पुकारते रहे है। इस कारण वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का नाम गरवरसिंह ही दर्ज करवा दिया जबकि वादी के अन्य दस्तावेजो में नरेन्द्रसिंह नाम दर्ज है। उक्त कृषि भुमि मे वादी का नाम गरवरसिंह नाम दर्ज होने व अन्य दस्तावेजो मे नरेन्द्रसिंह दर्ज होने के कारण वादी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। वादी सभी राजकीय सहायता व अन्य लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहा है वादी को परेशानिया ना हो तथा उचित अनुतोष व अन्य अनुतोष प्राप्त कर सके, वादी के नाम नरेन्द्रसिंह को राजस्व रेकार्ड में भी उपनाम के तौर पर जोडा जाकर बतौर काश्तकार दर्ज किये जाने की मांग की गई।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल फाईल किये गये।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2071 से 2074 की नकल, राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति पेश की गई। जो शामिल फाईल है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, रा. टी. ए. के तहत पेश किया गया है। जबकि रिलिफ में वादी अपने नाम नरेन्द्र सिंह के साथ उर्फ लगाकर गरवर सिंह कराना चाहता है। जिसमें जमाबन्दी मे कोई घोषणात्मक डिक्री नही चाही गई है। प्रकरण में वादी इन्द्राज दुरूस्ती का दावा कर राहत प्राप्त कर

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:41:09

सकता है। जिसे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नही समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है पर्चा डिक्री मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:41:09

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

नरेन्द्रसिंह उर्फ गरवरसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत नि. हथोडिया तह0 जहाजपुर
वादी.....

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
प्रतिवादी.....

दावा बाबत — 88, 89, 92 ए आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 30 / 2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिब मुदई व श्री का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.03.2020

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:41:09